

08-12-22

पत्रावली आज पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य में व्यस्त है। इत्थम होकर पत्रावली दिनांक...05-01-23.....को पेश हो।

05-01-23

पत्रावली पेश हुई।

प्राधी वकील उपस्थित।

चूंकि मूल वाद अदम पंखी में खारिज हो चुका है। अतः आवेदन की कार्यवाही जारी रखी जाने का कोई औचित्य नहीं है।

लिहाजा आवेदन की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है।

पत्रावली फेंसल नुमां होकर मूल वाद के अलग हैं।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना

